# न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 15 / 2021

**आ0के0 सेहरावत निवासी ए–1 / 79, एफ.एफ.इनेल, नव सराय, नई दिल्ली–68**

**बनाम**

उपखण्ड अधिकारी, डीग।

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**आदेश** **दिनांक 05.03.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट आ0के0 सेहरावत निवासी ए–1 / 79, एफ.एफ.इनेल, नव सराय, नई दिल्ली–68 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 08.11.2020 उपखण्ड अधिकारी, डीग से सूचना चाही गई थी । उपखण्ड अधिकारी, डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 133 दिनांक 09.02.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीग से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी, डीग से उनके पत्र कमांक / 501 दिनांक 03.03.2021 के द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी, डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी, डीग से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है । उपखण्ड अधिकारी, डीग से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 501 दिनांक 03.03.2021 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी, डीग ने अपने जबाव में अंकित किया है कि अपीलार्थी को सूचनांऐं उनके कार्यालय पत्रांक 9498 दिनांक 15.12.2020 से जरिये डाक उपलब्ध करादी हैं। उक्त पत्र से जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी, डीग ने आवेदक को सूचित किया गया है कि आवेदक के प्रार्थना पत्र में वर्णित शिकायती पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण बिन्दु संख्या 01 लगायत 06 की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है एवं बिन्दु संख्या 07 से 09 तक की सूचना के लिए निर्धारित सूचना शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 01 लगायत 06 की सूचना के सम्बन्ध में आवेदक को सूचित कर दिया गया है। किन्तु बिन्दु संख्या 07 लगायत 09 की सूचना के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं कराया गया है। उपखण्ड अधिकारी, डीग ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 9498 दिनांक 15.12.2020 की प्रति भी भिजवाई

गई है। यदि अपीलान्ट इच्छुक हो तो बिन्दु संख्या 07 लगायत 09 की बावत सूचना शुल्क जमा कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है ।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को ( उपखण्ड अधिकारी, डीग से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, डीग को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर